

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 01 /वि.स./संपदा/2010

रायपुर, दिनांक 16 जून, 2010

विधान सभा केन्टीन के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण

छत्तीसगढ़ विधानसभा, जीरो पाइंट, बलौदा बाजार रोड़ के परिसर में केन्टीन-संचालन हेतु ख्यातिनाम प्रतिष्ठानों अथवा प्रतिष्ठित संस्थानों में केन्टीन संचालन की अनुभवी फर्मों से विधानसभा सचिवालय द्वारा निर्धारित अधिकतम दरों पर एक वर्ष के लिये केन्टीन संचालन के लिये प्रस्ताव 09 जुलाई, 2010 तक आमंत्रित किये जाते है ।

विधान सभा परिसर स्थित केन्टीन पृथक से पूर्णतः सुसज्जित भवन में स्थित है । जिसमें केन्टीन, स्टोर्स और तीन बड़े भोजन कक्ष सहित समस्त फर्नीचर, फ्रीज, मिक्सर, ग्राइंडर आदि भी उपलब्ध है । **केन्टीन-संचालक को सुसज्जित भवन, बिजली, पानी निःशुल्क रूप से प्राप्त होगा ।**

सफल प्रस्तावक को वर्ष भर लगभग 300 अधिकारियों/कर्मचारियों, विधान सभा की 18 समितियों की बैठकों एवं समय-समय पर होने वाली अन्य बैठकों, बाहर से आने वाले आगन्तुकों के लिये आवश्यकतानुसार स्वल्पाहार एवं भोजन की समुचित व्यवस्था करनी होगी । इस के अतिरिक्त सत्रावधि में प्रति दिन लगभग 500 से 1000 व्यक्तियों के लिये भोजन के साथ अन्य समस्त खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी करनी होगी । विधान सभा में होने वाले विभिन्न आयोजनों के अवसर पर उच्च स्तरीय भोजन व्यवस्था भी करवायी जा सकती हैं । विस्तृत शर्तें एवं जानकारियों दिनांक 08 जुलाई, 2010 तक विधान सभा सचिवालय के प्रशासकीय अधिकारी से उनके कक्ष क्रमांक बी-19 से प्रातःकाल 11.00 बजे से 4.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है । जानकारियाँ विधान सभा सचिवालय की वेब साईट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

सचिव

अनुबंध की शर्तें

1. विधानसभा सचिवालय में 300 से अधिक अधिकारियों—कर्मचारियों, वर्ष भर प्रत्येक माह 18 विभिन्न समितियों के आयोजित बैठकों एवं सत्रावधि में बड़ी संख्या में आने वाले आगन्तुकों के लिये चाय, काफी, ठण्डा, जूस, स्वल्पाहार एवं भोजन की समुचित व्यवस्था करनी होगी । निविदाकर्ता को स्तरीय गुणवत्ता एवं निर्धारित दर पर (परिशिष्ट—एक) खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी ।
2. केन्टीन में उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त स्थान बिजली एवं पानी के उपकरण, फर्नीचर तथा अन्य सामग्री की स्वच्छता, साफ—सफाई एवं रख—रखाव का दायित्व संबंधित संस्था की होगी ।
3. अति विशिष्ट व्यक्तियों को उनके कक्ष एवं समिति कक्षों में भी स्वल्पाहार, चाय, कॉफी, ठण्डा पेय आदि प्रदान करना होगा ।
4. केन्टीन प्रातः 9:00 बजे से सांयकाल 7:00 बजे तक तथा सत्रावधि में प्रातः 8:00 बजे से बैठक समाप्ति या रात्रि 10:00 बजे तक अथवा अन्यथा निर्देशानुसार संचालित करनी होगी ।
5. प्रत्येक वर्ष सत्रकाल की अवधि औसतन 02 (दो) माह की होती है, यदि निविदाकार चाहे तो मात्र सत्रकाल अथवा अन्तःसत्रकाल अवधि में केन्टीन संचालन का प्रस्ताव दे सकता है ।
6. सफल निविदाकार को परफार्मेंन्स ग्यारंटी/अमानत राशि के रूप में 30,000/— (अक्षरी तीस हजार रूपये मात्र) का ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नाम से जमा करना होगा ।
7. सचिवालय द्वारा अधिकृत अधिकारी को स्वल्पाहार गृह में प्रदाय की जाने वाली सामग्री तथा उपयोग किये जाने वाली खाद्य/पेय सामग्री की गुणवत्ता के परीक्षण का सर्वाधिकार होगा ।
8. स्वल्पाहार गृह के प्रबंधक, वेटरों को सचिवालय द्वारा निर्धारित एवं साफ—सुथरे निर्धारित गणवेश में रहना होगा ।
9. स्वल्पाहार गृह के प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों को मान0 सदस्यों, आगन्तुकों एवं सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्मानजनक व्यवहार करना होगा ।
10. अनुबंध की अवधि एक वर्ष होगी, सचिवालय एवं संबंधित संस्था की सहमति से अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, किन्तु कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध पूर्व में भी समाप्त किया जा सकेगा ।
11. संबंधित संस्था द्वारा सचिवालय के पूर्वानुमति/सहमति के बिना केन्टीन का संचालन बंद नहीं किया जावेगा अन्यथा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
12. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा का निर्णय अन्तिम माना जावेगा ।

क्रं.	खाद्य एवं पेय पदार्थ	खाद्य सामग्री की मात्रा	निर्धारित अधिकतम दर
01.	चाय (फूल)	120 एम.एल	07/-
02.	चाय(हॉफ)	60 एम. एल	04/-
03.	नेसकेफे	120 एम.एल	15/-
04.	लस्सी	150 एम.एल	20/-
05.	कोल्ड ड्रिंक	पैक अनुसार	बाजार दर
06.	पाईनएप्पल शेक	150 एम.एल	25/-
07.	जूस	150 एम.एल	25/-
08.	डिप-टी	120 एम.एल	10/-
09.	मसाला दोसा	150 ग्राम	30/-
10.	सादा दोसा	100 ग्राम	22/-
11.	बड़ा सांभर(02 पीस)	150 ग्राम	22/-
12.	इडली सांभर(02 पीस)	200 ग्राम	18/-
13.	हॉफ इडली(01 पीस)	100 ग्राम	10/-
14.	वेज कटलेट(01 पीस)	75 ग्राम	20/-
15.	वेज सेन्डवीच	---	20/-
16.	चीस सेन्डवीच	---	34/-
17.	समोसा(01 पीस)	30 ग्राम	05/-
18.	आलू बड़ा(01 पीस)	30 ग्राम	04/-
19.	ब्रेड पकौड़ा(01 पीस)	30 ग्राम	04/-
20.	बिस्कीट	पैक अनुसार	बाजार दर
21.	भजिया/पकौड़ा(6 पीस)	100 ग्राम	07/-
22.	चिप्स/मिक्सचर	100 ग्राम	07/-
23.	स्वीट	---	बाजार दर
24.	फ्रूट (1 प्लेट)	---	बाजार दर
25.	वेज साधारण थाली(निर्धारित)	04 रोटी , 01-01 कटोरी चावल ,दाल , दही , सब्जी , 01 पापड़ , सलाद	35/-
26.	वेज स्पेशल थाली (निर्धारित)	04 रोटी/02 पराठा, 01-01 कटोरी चावल , दाल , दही , सूखी सब्जी , रसेदार सब्जी , 01 पापड़ , 01 पीस मीठा	60/-
27.	मिनी लन्च (निर्धारित)	04 रोटी/01 कटोरी चावल, 01 सब्जी/ दाल	20/-

क्रमांक	खाद्य एवं पेय पदार्थ	खाद्य सामग्री की मात्रा	निर्धारित अधिकतम दर
28.	व्ही.आई.पी. वेज लंच	सूप , पनीर, 3 अन्य सब्जी , दाल फ्राई रायता/दही ,चावल/पुलाव/जीरा राईस चपाती/पुरी , सलाद ,पापड़, अचार , मीठा/आईस्क्रीम	175/—
29.	व्ही.आई.पी. नॉन वेज लंच	व्ही.आई.पी वेज लंच के अतिरिक्त एक नॉनवेज सब्जी	210/—
30.	मिनरल वॉटर(स्तरीय कम्पनी)	पैक अनुसार	12/—
31.	सूप आर्टम	---	34/—
32.	बटर मिल्क (छाछ)	---	10/—
33.	मिटिंग नाश्ता (साधारण)	मीठा, समोसा/कचौरी, नमकीन/चिप्स/बिस्किट, चाय/कॉफी	25/—
	मिटिंग नाश्ता (स्पेशल)	काजू कतली/रस मलाई, चिप्स, बिस्किट, कटलेट/वेज सैण्डविच, चाय/कॉफी	60/—
34.	चाय, बिस्किट	04 बिस्किट (02 मीठा, 02 खारा), 01 फुल चाय	12/—
35.	मिल्क शेक	150 एम.एल	25/—
36.	मेंगो शेक	150 एम.एल	25/—
37.	उत्तपम	150 ग्राम	30/—
38.	जेम सेन्डविच	---	21/—
39.	एग सेन्डविच	---	22/—
40.	ब्रेड बटर	---	14/—
41.	दही बड़ा	150 ग्राम	28/—
42.	ऑमलेट	02 एग का	25/—
43.	स्क्रेम्बल एग+टोस्ट	02 एग	39/—